

कमार जनजाति के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में पंचायती राज संस्थाओं की**भूमिका: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन****महेन्द्र कुमार सिन्हा ; प्रो. (डॉ.) मनीष कुमार पाण्डेय**DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.22306493>**Review:15/07/2026****Acceptance: 16/07/2026****Publication: 04/09/2026**

सारांश : 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती-राज व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों ने अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक उत्थान और राजनीतिक भागीदारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में इन समुदाय के लोगों की सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 705 से अधिक जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें 75 जनजातियाँ ऐसी हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर या अत्यंत पिछड़ी हुई जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और कमार जनजाति छत्तीसगढ़ की इन्ही पिछड़ी हुई जनजातियों का हिस्सा है।

प्रस्तुत अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों के अध्ययन और उनके विश्लेषण के माध्यम से यह विमर्श किया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से कमार जनजाति समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। पंचायती राज संस्थाओं ने कमार जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं आधारभूत सुविधाओं में कुछ सकारात्मक सुधार हुए हैं साथ ही सक्रिय राजनीति तथा सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाया है, किन्तु अशिक्षा, जागरूकता की कमी, प्रशासनिक समस्याएँ एवं सीमित संसाधनों के कारण विकास अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है उनके विकास के मार्ग में शैक्षिक, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन जैसी चुनौतियाँ आज भी बनी हुई हैं।

मुख्य शब्द : पंचायती राज व्यवस्था, कमार जनजाति, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, अनुसूचित जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजाति।

प्रस्तावना : भारत वर्ष एक विविधता संपन्न राष्ट्र है जो वैश्विक स्तर पर इसे 'अद्वितीय राष्ट्र' का दर्जा दिलाती है। विश्व के अनेक राष्ट्र एक भाषा और एक धर्म से जुड़े हुए हैं वहीं भारत वर्ष में अनेक धर्म, भाषा, संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न जाति एवं समुदाय के बीच रहने वाली महत्वपूर्ण समुदाय के लोग भी सभ्यता के विकास से पूर्व इस भारत वर्ष में निवास कर रहे हैं। जो एक विशिष्ट संस्कृति के वाहक हैं। (देसाई, 2009)

भारत के दुर्गम पहाड़ी और दूर-दराज़ के वन क्षेत्रों में रहने वाले वे समुदाय, जो प्राकृतिक संसाधनों और वन-उत्पाद पर निर्भर हैं, संचार के साधनों की कमी और राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण विकास की मुख्यधारा से अछूते रहे हैं; इन समुदायों को 'आदिवासी', 'आदिम जातियाँ', 'वन जातियाँ' या 'ट्राइबल्स' (जनजातियाँ) कहा जाता है। (Yadav & Pandey, 2025)

भारत वर्ष एक ऐसा उप महाद्वीप है जहाँ 2500 विभिन्न जातीय समुदायों का निवास केंद्र है तथा यहाँ 22 अधिकारिक भाषाओं के साथ 1600 से अधिक बोलियाँ बोली जाती है। भारत वर्ष में होने वाली जनगणना 2011 के अनुसार 705 से अधिक जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा प्रदान किया गया है,

जिसमें 75 जनजातियाँ ऐसी हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर या अत्यंत पिछड़ी हुई जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। (भारत सरकार, 2011)

भारत सरकार के द्वारा घोषित पिछड़ी-जनजाति में कमार जनजाति एक है। यह जनजाति छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर, छूरा तथा धमतरी जिले के मगरलोड तथा नगरी विकासखंड में निवास करती है, तथा इस जनजाति का कुछ परिवार समूह महासमुंद जिले के महासमुंद व बाहबाहरा विकासखंड में पाया जाता है। यह जनजाति अभावग्रस्त दुर्लभ क्षेत्र में होने के कारण अत्यंत पिछड़ी हुई है। (गुरुपंच और चंद्राकर, 2022)

साहित्य पुनरालोकन :

भारत सरकार द्वारा कई राज्यों को आदिवासी बाहुल्य राज्य के रूप में चिन्हित किया गया है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना इसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बनाती है। प्राचीन काल से ही आदिवासी संप्रदाय एवं पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध बना हुआ है। यह संप्रदाय पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीवन-यापन करता है। जनजातीय संप्रदाय प्रकृति को देवी-देवताओं के रूप में पूजते हैं और यही आस्था पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विद्यार्थी(2007) ने “आदिवासी विकास और उसका प्रशासन” में इस संप्रदाय का पर्यावरण से जुड़ाव पारंपरिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधन एवं उपलब्ध संसाधनों पर निर्भरता उनकी जीवन शैली को सरल एवं आत्मनिर्भर बनाती है। भौगोलिक बनावट के कारण इन संप्रदायों का संपर्क शहरी क्षेत्रों में सीमित होता है, जो इन्हें शहरी आधुनिक सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाओं एवं रोजगार से वंचित रखते हैं। जो कि इनके सामाजिक तथा आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।

हसनैन(2011) ने “जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति” का विस्तृत अध्ययन किया है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना के कारण केंद्र सरकार द्वारा बस्तर, सरगुजा, जशपुर और कांगेर को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। कमार जनजाति को छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजातियों में से एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) में शामिल किया गया है। कमार जनजाति के आजीविका का मुख्य साधन वनोपज संग्रह, झूम कृषि, एवं श्रम कार्य है।

हीरालाल(1916) ने अपने शोध के अध्ययन “ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स ऑफ सेंट्रल प्राविन्सेज ऑफ इंडिया” में निष्कर्ष निकाला है कि कमार जनजाति पूर्णतः प्रकृति एवं पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ क्षेत्रों पर रहने के कारण परिवहन की समस्या तथा आर्थिक संसाधनों का अभाव इनके विकास के मार्ग की प्रमुख बाधाएँ हैं।

दुबे(2008) ने “द कमार” में विश्लेषण किया है कि कमार जनजाति विशेषतः पिछड़ी हुई जनजाति है जो विकास की मुख्यधारा से आज भी वंचित है। यह अध्ययन कमार जनजातियों की वर्तमान स्थिति और उनकी मूलभूत समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान करता है।

सिनी,पी.के.एवं निशा (2025) ने “भारत की जनजातीय आबादी” शोध में सबसे चुनौतीपूर्ण यह माना है कि पंचायती राज संस्था जनजातीय विकास का सबसे प्रभावी माध्यम होते हुए भी आज जनभागीदारी एवं पारदर्शिता की कमी के कारण सरकारी संस्थाओं की प्रभावशीलता सीमित है।

हुसैन,एम.डी.एन (2025) के अनुसार शोध “पंचायती-राज संस्थाओं में जनजातीय विकास” जनजातीय विकास परिषदों से निर्वाचित पंचायत संस्था की ओर संक्रमण एक जटिल प्रक्रिया के रूप में सामने आई जिसमें पारंपरिक एवं आधुनिक शासन संरचना के समन्वय में कमी पायी गई जो स्थानीय शासन को प्रभावित करता है। अतः प्रस्तुत शोध द्वारा यह निष्कर्ष निहितार्थ होता है कि पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु संस्थागत सुधार, क्षमता निर्माण एवं जनभागीदारी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

कुमार, वी. और ज्योति(2024) ने प्रस्तुत शोध द्वारा “भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विश्लेषण” किया है, जिसमें 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् भी विभिन्न राज्यों में असमानता, संसाधनों की कमी को प्रमुख प्रशासनिक बाधाओं के रूप में उजागर हुआ।

प्रसाद,एस.(2023) प्रस्तुत शोध अध्ययन में “पंचायती राज व्यवस्था में विकेंद्रीकरण के महत्व” को दर्शाया गया है। जिसके विश्लेषण द्वारा यह स्पष्ट होता है कि ग्राम सभा को पर्याप्त संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी उनके क्रियान्वयन के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं अतः विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने हेतु ग्रामसभा को सशक्त बनाने, जागरूकता बढ़ाने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

पद्मजा,पी.(2022) का शोध अध्ययन “पंचायती राज व्यवस्था का महिलाओं एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास की भूमिका” को दर्शाती है, जिसमें पंचायती राज के समक्ष बाधाएँ वित्तीय संसाधन की कमी, प्रशासनिक बाधाएँ, भ्रष्टाचार, लैंगिक असमानता तथा क्षमता निर्माण की कमी को बताया है। अतः प्रस्तुत शोध-पत्र द्वारा यह निष्कर्ष निहितार्थ होता है कि पंचायती राज व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय स्वायत्तता, पारदर्शिता, प्रशिक्षण एवं जनभागीदारी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए।

रोमो,एन.टी. एवं मिंजे,एस.के.(2020) के प्रस्तुत अध्ययन “जनजातीय विकास हेतु सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन” द्वारा जनजातीय समुदाय में सरकारी योजनाओं एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में कमी का विश्लेषण किया गया है। अतः प्रस्तुत शोध द्वारा यह निष्कर्ष निहितार्थ होता है कि सतत विकास के लिए आर्थिक विकास के साथ ही जनजातीय समुदायों की संस्कृति, परंपराओं एवं संरक्षण की आवश्यकता है इसके लिए लक्षित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

होके,ए. (2020) ने प्रस्तुत अध्ययन “पंचायती राज संस्थाओं द्वारा महिलाओं में राजनीतिक सशक्तिकरण” का विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत शोध द्वारा यह निष्कर्ष निहितार्थ होता है कि 73वें संविधान संशोधन ने महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि की है परंतु पितृसत्तात्मक सोच एवं शिक्षा का निम्न स्तर तथा सामाजिक बाधाएँ महिलाओं के प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

मुनिराजू,एस.बी. एवं ठाकुर,आर.(2018) के शोध अध्ययन “विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) का विकास अंतराल” द्वारा यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान के अनुसूचि (V एवं VI) तथा अनुच्छेद 342 के द्वारा अनुसूचित जनजातियों को विशेष प्रावधान होने के बावजूद ये जनजातियाँ अत्यंत पिछड़े

हुई हैं और विकास के मुख्यधारा से वंचित हैं। प्रस्तुत शोध द्वारा यह ज्ञात होता है कि इन जनजातियों को विकास के मुख्य धारा में शामिल करने हेतु प्रभावी क्रियान्वयन एवं लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

गांधी,एस.(2014) प्रस्तुत शोध अध्ययन में “अरुणाचल प्रदेश के पंचायतीराज व्यवस्था का विश्लेषण” किया गया है जिसमें जनजातीय संरचना एवं स्थानीय शासन के बीच सुदृढ़ समन्वय को दर्शाया गया है। जिसमें जनजातीय समुदायों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी से जनजातीय समुदायों में राजनीतिक जागरूकता एवं सहभागिता में वृद्धि होने से सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति मिली है। अतः प्रस्तुत शोध द्वारा यह निष्कर्ष निहितार्थ होता है कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ करने के साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास का भी प्रभावी माध्यम है।

लिगम,एस.(2013) ने शोध अध्ययन “अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला पंचायत प्रतिनिधि का तुलनात्मक अध्ययन” में निष्कर्ष निकाला है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दोनों वर्गों की महिलाएँ शिक्षा एवं संसाधनों की कमी से प्रभावित पायी गई परंतु अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के समक्ष अधिक चुनौतियाँ परिलक्षित हुई जिससे उनका प्रदर्शन अनुसूचित जाति की महिलाओं के अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया।

शोध समस्या:

भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों को विकास प्रक्रिया में सहभागी बनाना है। इसके बावजूद कमार जनजाति आज भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी हुई है। उपरोक्त साहित्य समीक्षा के आधार पर निम्नांकित शोध समस्या परिलक्षित होती है—

- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित विकास योजनाओं के बावजूद कमार जनजाति का सामाजिक एवं आर्थिक विकास अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है।
- पंचायतों की विकास योजनाओं का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव अपेक्षित स्तर तक सकारात्मक नहीं पाया गया, और संचालित नीतियों का प्रशासनिक प्रबंधन एवं कार्यान्वयन सम्बन्धी बाधाएं परिलक्षित होती हैं।
- कमार जनजाति के सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक उत्थान में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान अभी भी लक्ष्याभिमुख नहीं पाये गये।

उद्देश्य :

उपरोक्त शोध समस्याओं के सम्यक विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत अनुसंधान के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

1. कमार जनजाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. पंचायती-राज संस्थाओं द्वारा कमार जनजाति के विकास हेतु संचालित नीतियों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

3. ग्राम सभा में कमार जनजातियों की राजनीतिक भागीदारी तथा जागरूकता का अध्ययन करना।

अनुसंधान पद्धति :

प्रस्तुत शोध में गुणात्मक शोध प्रविधि के अंतर्गत वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन हेतु आवश्यक तथ्यों का संकलन द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से किया गया तथा उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं। इस शोध के लिए आवश्यक सूचनाएँ शासकीय गजट, जनगणना आंकड़े, विभिन्न आदिवासी समितियों की रिपोर्टें, जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टें, शोध-पत्रों, पुस्तकों तथा अन्य प्रासंगिक प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्रोतों से संकलित की गई हैं। इन स्रोतों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों एवं तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर अध्ययन के निष्कर्ष प्रतिपादित किए गए हैं।

सैद्धांतिकरण :

कमार जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति :

कमार जनजाति की सामाजिक संरचना पारंपरिक एवं सामुदायिक पद्धति पर आधारित है। इनके रीति-रिवाज, विशिष्ट भाषा, संस्कृति, पहनावा और धार्मिक मान्यता का अपना विशेष महत्व है जो अन्य समुदायों से इन्हें पृथक पहचान प्रदान करती है। (रसेल, 1916)

कमार जनजाति पितृसत्तात्मक समाज है जहाँ परिवार का मुखिया पुरुष होता है परंतु आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इन महिलाओं का मुख्य कार्य वनोपज संग्रहण तथा बाँस से विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण कर आजीविका अर्जन करना है। बाँस आधारित हस्तशिल्प जनजातीय महिलाओं के आय अर्जन का प्रमुख स्रोत है। (विद्यार्थी, 2007)

कमार जनजाति में सामाजिक नियमों के पालन हेतु कई ग्रामों को मिलाकर क्षेत्रीय जाति पंचायत का निर्माण किया जाता है तथा प्रत्येक गाँव में एक मुखिया होता है जिसे गौंटिया या मुखदीहवार कहा जाता है। इनके प्रमुख देवता वामन देव, भीमा देव, मुरमाटी है परंतु इनकी सर्वाधिक आस्था प्रकृति में है तथा ये प्रकृति वन देवी की पूजा-अर्चना करते हैं। इस जनजाति के लोग पुनर्जन्म तथा जादू-टोने में विश्वास रखते हैं। (नदीम, 2011)

कमार जनजातियों की शैक्षिक स्तर अन्य जनजातियों के शैक्षिक स्तर से काफी न्यूनतम एवं चुनौतिपूर्ण हैं। इनकी साक्षरता दर लगभग 38.79% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरतादर 60.57% है जबकि महिलाओं की साक्षरतादर मात्र 39.42% है जिसमें केवल 2.47% लोगों को ही उच्च शिक्षा प्राप्त है। यह शैक्षिक स्तर इस समुदाय में जागरूकता की कमी को दर्शाता है। इन जनजातियों के शैक्षिक स्तर में कमी का मुख्य कारण आर्थिक अभाव, भौगोलिक स्थिति, शैक्षणिक संसाधनों की कमी, विद्यालयों की दूरी और शिक्षकों की अनउपलब्धता है। (भारत की जनगणना, 2011)

कमार जनजाति का आर्थिक स्तर वनोपज संग्रहण कार्य पर निर्भर है। इस संग्रहण कार्य के लिए बच्चों को कम उम्र से ही काम पर लगा दिया जाता है जिनसे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है तथा इस समुदाय में सरकारी योजनाओं और शैक्षिक सुविधाओं की जानकारी का अभाव इनके पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। इस

विपरीत परिस्थिति में पंचायती राज व्यवस्था अहम भूमिका का निर्वहन करती है, वे शिक्षा के प्रति जागरूकता, विद्यालयों की व्यवस्था, अभिभावकों को प्रेरित करने के अलावा अन्य सामाजिक कार्यों के विकास में सहायता करती है।(दुबे, एस.सी.,2021)

कमार जनजाति एवं पंचायती राज नीतियाँ :

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस के पश्चात अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय स्वशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम) लागू किया गया।

कमार जनजाति के विकास हेतु पंचायतों के माध्यम से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा विभिन्न जनजातीय विकास योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं ने रोजगार, आवास एवं आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्राम सभा को स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन एवं विकास योजनाओं के अनुमोदन का अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे जनजातीय समुदायों की भागीदारी बढ़ी है।(पेसा अधिनियम,1996) हालाँकि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में जागरूकता की कमी, प्रशासनिक बाधाएँ एवं संसाधनों की सीमाएँ प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।(पंचायती राज मंत्रालय, 2024)

कमार जनजाति की राजनीतिक सहभागिता एवं जागरूकता की स्थिति :

पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के प्रावधानों ने कमार जनजाति की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा दिया है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के कारण इस समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। इसके बावजूद राजनीतिक जागरूकता का स्तर अभी भी सीमित है। पंचायतों की शक्तियों, सरकारी योजनाओं तथा संवैधानिक अधिकारों के संबंध में पर्याप्त जानकारी का अभाव देखा जाता है। शिक्षा का निम्नस्तर एवं सूचना तक सीमित पहुँच राजनीतिक चेतना को प्रभावित करती है।(जनजातीय कार्य मंत्रालय, 2023)

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई है, किन्तु निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भूमिका अभी भी सीमित है। पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता महसूस की जाती है। (छत्तीसगढ़ शासन,2022)

पिछड़ी जनजाति एवं पंचायती राज व्यवस्था :

भारत में संविधान 342 के तहत कुछ समुदायों को उनके जनजातीय विशेषताओं के आधार पर अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्रदान की गई है। जिसमें इन समुदायों के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। जिसमें अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्यों को इन विशेष जनजातियों के हितों की रक्षा, शोषण मुक्त रखने तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु दायित्व सौंपा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार 8.6% भाग अनुसूचित जनजातियों का है जिसमें छत्तीसगढ़ में इन जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ में लगभग 30.60% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है जो राज्य में इन जनजातियों के विकास की आवश्यकता को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में 42 जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति

के रूप में रखा गया है जिसमें कुछ विशेष मानदंडों जैसे कम जनसंख्या, निम्न साक्षरता स्तर, पारंपरिक कृषि, आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) के रूपमें वर्गीकृत किया गया है, और कमार जनजाति इसी श्रेणी में आते हैं। (भारत सरकार, 2011)

पंचायती राज व्यवस्था देश की महत्वपूर्ण संवैधानिक ईकाई है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य किया जाता है। 73वें संविधान संसोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। जिससे ग्राम स्तर के विकास में वृद्धि हुई है।

जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये संस्थायें वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करती हैं। विशेषतः उन पिछड़ी जनजातियों के विकास का प्रमुख माध्यम है।

कमार जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में पंचायतों द्वारा विभिन्न योजनाओं को संचालित किया जाता है जैसे—मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम ये सभी महत्वपूर्ण योजनाएँ रोजगार के अवसर तथा जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं।

ग्राम पंचायत जनजातीय संप्रदाय में जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से कमार जनजाति के लोगों को भागीदारी का अवसर प्राप्त होता है जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। इन समस्त सकारात्मक पहलुओं के बावजूद भी ये जनजाति अत्यंत पिछड़ी हुई हैं इनके शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर अत्यंत निम्न हैं तथा इनकी आर्थिक स्थिति भी अत्यंत न्यूनतम हैं। (महेश्वरी, 2018)

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कमार जनजाति सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अनेक समस्याओं का सामना कर रही है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव इनके विकास में प्रमुख बाधाएँ हैं। पंचायती राज संस्थाओं ने शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान दिया है, किन्तु योजनाओं का प्रभाव अभी भी सीमित है।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध अध्ययन "कमार जनजाति के सामाजिक—आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में पंचायती राज की भूमिका: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्थाओं ने कमार जनजाति के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों को विकास प्रक्रिया में सहभागी बनाना था। कमार जनजाति जैसे अत्यंत पिछड़े एवं वन क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदायों के लिए पंचायतें विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी हैं। कमार जनजाति छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) में शामिल है। यह जनजाति लंबे समय तक सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से उपेक्षित रही है। इनके जीवन का प्रमुख आधार जंगल, लघु वनोपज, कृषि एवं मजदूरी रहा है। आधुनिक विकास प्रक्रियाओं से दूर रहने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में यह समुदाय काफी पिछड़ा हुआ पाया गया। प्रस्तुत अध्ययन में

यह ज्ञात हुआ कि पंचायती राज संस्थाओं ने सरकारी योजनाओं को जनजातीय क्षेत्रों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शिक्षा के क्षेत्र में पंचायतों द्वारा विद्यालय भवन निर्माण, मध्यान्ह भोजन योजना, छात्रवृत्ति वितरण तथा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन जैसे कार्य किए गए हैं। इन प्रयासों से कमार जनजाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा विद्यालयों में बच्चों का नामांकन भी बढ़ा है। इसके बावजूद अशिक्षा की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है। विशेष रूप से बालिका शिक्षा की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयों की कमी, आर्थिक समस्याएँ तथा सामाजिक जागरूकता का अभाव शिक्षा के विकास में प्रमुख बाधाएँ हैं। पंचायतों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी है। कई पंचायत प्रतिनिधि अशिक्षित होने के कारण योजनाओं का प्रभावी संचालन नहीं कर पाते। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक उदासीनता एवं योजनाओं की जानकारी का अभाव भी विकास कार्यों को प्रभावित करता है। कई बार योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाता। दूरस्थ एवं वन क्षेत्रों में परिवहन एवं संचार सुविधाओं की कमी भी विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है।

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्थाएँ कमार जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की आधारशिला बन सकती हैं, यदि उन्हें पर्याप्त संसाधन, प्रशासनिक सहयोग एवं स्थानीय जनसहभागिता प्राप्त हो। पंचायतों को अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे स्थानीय समस्याओं का प्रभावी समाधान कर सकें। साथ ही जनजातीय समुदाय में शिक्षा एवं जागरूकता का विस्तार करना भी अत्यंत आवश्यक है।

- कमार जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अभी भी विकास की मुख्यधारा की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर है। जनजाति का सामाजिक जीवन पारंपरिक रीति-रिवाजों, सामुदायिक मूल्यों तथा पितृ सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित है। अधिकांश परिवारों की आजीविका कृषि, कृषि मजदूरी तथा लघु वनोपजों के संग्रह पर निर्भर है, जिस से उनकी आय सीमित और अनिश्चित रहती है। शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत निम्न होने के कारण रोजगार के अवसर सीमित हैं तथा साथ ही जागरूकता के अभाव में सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ सभी परिवारों तक नहीं पहुँच पाता। स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, सड़क एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में भी कई कमियाँ पाई गईं। यद्यपि शासन द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, फिर भी जागरूकता की कमी, भौगोलिक दुर्गमता तथा प्रशासनिक चुनौतियों के कारण इनका अपेक्षित प्रभावपूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि शिक्षा के प्रसार एवं सरकारी प्रयासों के कारण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, किंतु इसका लाभ अभी सीमित स्तर तक ही पहुँचा है। इसलिए कमार जनजाति के समग्र विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थायी आजीविका, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
- अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा कमार जनजाति के विकास हेतु विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इनसे शिक्षा, आवास, रोजगार एवं आधारभूत सुविधाओं में कुछ सुधार हुआ है। किंतु योजनाओं का लाभ सभी पात्र परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। जागरूकता का अभाव, प्रशासनिक विलंब तथा क्रियान्वयन संबंधी समस्याएँ प्रमुख बाधाएँ हैं। अतः योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए पारदर्शी क्रियान्वयन, नियमित निगरानी तथा जनजागरूकता आवश्यक है।

➤ कमार जनजाति में लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। ग्राम सभा की बैठकों में उनकी सहभागिता पहले की अपेक्षा बढ़ी है, किंतु अभी भी सक्रिय एवं नियमित भागीदारी अपेक्षित स्तर पर नहीं है। अनेक सदस्य ग्राम सभा के अधिकारों, पंचायत की कार्यप्रणाली तथा विकास योजनाओं के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते हैं। राजनीतिक अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव भी उनकी प्रभावी सहभागिता में बाधक है। महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने की विशेष आवश्यकता है। अतः कमार जनजाति की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित जन जागरूकता कार्यक्रम, राजनीतिक प्रशिक्षण तथा ग्राम सभा में सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इससे कमार जनजाति स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेगी।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कमार जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक रही है, किन्तु इसके अधिक प्रभावी परिणामों के लिए शिक्षा, जागरूकता, पारदर्शिता तथा स्थानीय नेतृत्व क्षमता के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सुझाव :

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कमार जनजाति छत्तीसगढ़ के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, किन्तु विकास की प्रक्रिया अभी भी अनेक समस्याओं एवं चुनौतियों से प्रभावित है। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि अशिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव तथा प्रशासनिक समस्याएँ जनजातीय विकास में प्रमुख बाधाएँ हैं। इसलिए आवश्यक है कि पंचायतों को अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाया जाए तथा विकास योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित किया जाए।

कमार जनजाति के अधिकांश लोग दूरस्थ एवं वन क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहाँ आधारभूत सुविधाओं की कमी है। अतः पंचायतों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल एवं रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पंचायत प्रति निधियों को जनजातीय समस्याओं की समझ एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। साथ ही जनजातीय समुदाय में जागरूकता अभियान चला कर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

महिला सशक्तिकरण को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्व-सहायता समूहों एवं स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देकर महिलाओं एवं युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। पंचायतों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण एवं ग्रामसभा की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए।

अध्ययन के आधार पर निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं—

1. कमार जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास तथा आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए। साथ ही, सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक प्रभावी रूप से पहुँचाया जाए।

2. ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा को अधिक सशक्त बनाया जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, नियमित निगरानी, सामाजिक अंकक्षण तथा पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
3. ग्राम सभा में कमर जनजाति की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए नियमित जन जागरूकता अभियान चलाए जाएँ तथा पंचायत, (PESA) और सरकारी योजनाओं से संबंधित अधिकारों की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराई जाए।
4. विकास योजनाओं का प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र कमर परिवारको योजनाओं का लाभ मिल सके।
5. पंचायतों की प्रशासनिक क्षमता एवं निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाए तथा योजनाओं के नियमित मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए।
6. कमर जनजाति में शिक्षा, जन जागरूकता एवं ग्राम सभा में राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।

संदर्भ ग्रंथ :

- बर्मन, बी.के.आर. (2002). जनजातीय विकास की गतिशीलता, नई दिल्ली मित्तल प्रकाशन।
- देसाई, ए.आर. (2009). भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र, मुंबई पॉपुलर प्रकाशन।
- दुबे, एस.सी. (2021). जनजातीय विकास एवं सामाजिक परिवर्तन, नई दिल्ली: संबंधित प्रकाशक।
- दुबे, एस.सी. (2008). भारत में जनजातीय समाज एवं विकास, नई दिल्ली: संबंधित प्रकाशक।
- गांधी सिंगा. (2014). अरुणाचल प्रदेश के विशेष संदर्भ में भारत में पंचायती राज का विकास, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशलसाइंस स्टडीज (आई जे एच एस एस एस), 1(3), 225–240.
- गुरुपंच, के. एस. और चन्द्राकर, आर. (2022) कमर जनजाति के सामाजिक आर्थिक स्थिति का भौगोलिक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिव्यूज एंड रिसर्च इन सोशल साइंसेज 10(3):96–100.
- हसनैन, एन. (2011). भारत में जनजातीय विकास, नई दिल्ली पलका प्रकाशन।
- रोमो, एन., और नजीर हुसैन, एम.डी. (2025). शासन में परिवर्तन अरुणाचलप्रदेश में पारंपरिक ग्राम परिषदों से पंचायती राज तक का विकास, लाइसेम इंडिया जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 2(6).
- कुमार, वि. और डॉ. ज्योति. (2024). भारत में पंचायती राज का पुनरुत्थान और पुनरुद्धार. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (आईजेसीआरटी), 12(5).
- माहेश्वरी, एस.आर. (2018). भारतीय प्रशासन और पंचायती राज. नई दिल्ली ओरिएंट ब्लैक स्वान.
- जोशी, आर.पी. (2003). पंचायती राज और ग्रामीण विकास। जयपुर रावत प्रकाशन।
- मुनिराजु, एस.बी. और ठाकुर, आर. (2018). विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) की विकास संबंधी कमियाँ और आगे का रास्ता. जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिव्यू, 6(6).
- पंचायती राज मंत्रालय (2021). पंचायती राज वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- पद्मजा, पी. (2022). भारत में पंचायती राज एक अध्ययन. अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च, 11(8).

- प्रसाद, एस., मित्रा, ए., चिंतामणि, बी.जी., श्रीवास्तव, जि., डे, के. एन., और शेलके, ए.(2023).जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायतों के विस्तार की स्थिति, अंतःविषय अध्ययन के अकादमिक जर्नल,12(1)।
- रसेल, आर.वी.(1916).भारत के मध्य प्रांतों की जनजातियाँ और जातियाँ,लंदन;मैकमिलन एंड कंपनी.
- शर्मा, एम.पी. (2014).भारत में स्थानीय सरकार,नई दिल्ली किताब महल।
- सिनी, पी.के. और निशा, पी. (2025).भारत में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के लिए संवैधानिक प्रावधान और सरकारी पहल एक व्यापक अवलोकन, देश विकास, 12(1), 55–66.
- मिंज, एस. के. (2020).भारत में जनजातीय विकास नीतियां इसके निहितार्थ और संभावनाएं. मुक्त शब्द जर्नल, 9(5).
- जनजातीय मामलों का मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त, <https://tribal.nic.in>
- छत्तीसगढ़ जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान(2020).जनजातीय विकास रिपोर्ट रायपुर।
- भारत की जनगणना (2011). अनुसूचित जनजातियों के लिए प्राथमिक जनगणना सारांश, भारत सरकार।
- लहक, ए. (2020).भारत में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एड वांस्ड रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईजेएआरईटी),11(10),1827–1840.
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (2021). ग्रामीण विकास रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- लीगम, एस. (2013).जनजातीय समाज एवं सामाजिक विकास,नई दिल्ली;संबंधित प्रकाशक।
- विद्यार्थी एल.पी. (2007).भारत की जनजातीय संस्कृति,नई दिल्ली कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग हाउस।
- Yadav, A., & Pandey, M. K.(2025). Cultural Beliefs and Demographic Change: A Study of Population Decline Among the Baiga Tribe. AD Eduxian Journal, 2(3), 156–169.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17643387>